

2010
22/11/16

सेवा में,

श्रीमान जन सुचना अधिकारी, सभ्यीयत अधिकारी
प्रबन्धन सेवा सुगर इन्स्टीट्यूट यूट, कल्याणपुर,
कानपुर नगर ।

श्रीमान जी,

प्राथमिक निम्नीकृत विन्दु के प्रश्न का उत्तर; जन

सुचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकाश करने को कहा करे :-

प्रश्न :- आपके विभाग में "सिफिस" के पद पर कार्यरत श्री
रामकृष्ण यादवों पुत्र वेद प्रकाश यादवों आपके विभाग से
किस पत्र सेवा विनवृत्त हुए हैं ?

सुचना अधिकारी को सुझाव
अनुसूचित करके ।

2010/11/16
22/11/16
22/11/16

दिनांक:

22/11/16

संख्या:

2016/11/16

10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर

प्राथमिक
Kundan Saini

श्रीमान स्वल्प कल्याण
पुत्र स्व. राधाकिशन कल्याण
दिनांक 10/10/17, कल्याणपुरी
कानपुर नगर ।

Sh. Rajeev Singh
15/11/16

Deposited to R. Rajeev Singh
by cash, vide T. R. No. 321841
dt. 17-12-2015.

Signature
17/12/15

OS/EE
As needed
4/11/16

4/11/16

श्री हरबंश / श्रीमती कविता
4/11/16

फाइल नं०- 25(52)/2014/R11/

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई०ए०आर०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543

फैक्स : (0512) 2570247

ई-मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक 13.01.2016

सेवा में,

श्री आनन्द स्वरूप कल्याण,
पुत्र स्व० राजा किसान कल्याण
नि० 118/107, कौशलपुरी,
कानपुर नगर

668
15/1/16
[Signature]

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न में श्री राम प्रकाश पाटनी के नियुक्ति सम्बन्धी specific विवरण के अभाव में कार्यालय द्वारा समस्त उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात् यह सूचित किया जाता है कि सन् 1970 के दशक के आसपास श्री आर० पी० पाटनी नाम का एक व्यक्ति इस कार्यालय में कार्यरत था। रिकार्ड रूम में भेजे गये अभिलेख की प्रविष्टि से यह कह पाना सम्भव नहीं कि उनका पद क्या था एवं उनके पिता वेद प्रकाश पाटनी ही थे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि श्री आर० पी० पाटनी से सम्बन्धित अभिलेख भी रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हैं एवं weed-out करने सम्बन्धी सरकारी निर्देशानुसार उन्हें सम्बन्धित गूँट कर दिया गया। इस से सम्बन्धित अभिलेख भी रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हैं।

अंतः आवेदक द्वारा वॉंछित सूचना देने में कार्यालय असमर्थ है, इसके बावजूद यदि आवेदक उनकी नियुक्ति की कालावधी यदि बताने में समर्थ हो, तो कार्यालय द्वारा सूचना देने हेतु अन्य प्रयास किये जा सकते हैं। आगे आपको यह सूचित किया जाता है कि आप यदि चाहें तो रिकार्ड रूम की inspection पूर्वानुमति लेने के पश्चात् कर सकते हैं। सूचना का अधिकार (regulation of fee and cost) अधिनियम-2005 के सेक्शन 4 के उपनियम (d) के GSR 649(1) दिनांक 27.10.2005 द्वारा संशोधित संस्करण के अनुसार Inspection of record के पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा तत्पश्चात् प्रति 15 मिनट (तथा उससे कम समय) के लिए ₹० 5/- की दर से शुल्क देय होगा।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5 (4) के अनुसार दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त मांगी गयी जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप द्वारा पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन,
निवेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर-206017

भारतीय
[Signature]
(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी